

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

आज अदालत 30-6-15 मुकाम अजमेर
 नाम हुंकार पुत्र सखाराम लाल मारुत बाना नाम अशोक कुमार
 किस्त मुकदमा स. 2015/73 सन् 1973

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
------------	-----------------------------------	---

17/6/2015

आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अ. / धारा 24 में पेश किया दर्ज हो अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो मिसल दिनांक 30-6-15 को पेश हो

सहायक कलक्टर डीडवाना

30-6-15

अशोक कुमार सेक्टर 16 का 17, कापूरस गाविस की के - पंचायत में अस्थापित है, अतः इन्डिफिन्ड प्रकृति का कार्य प्रकृति के लिये जारी है। ककार अशोक कुमार की गाविस लॉकेट नहीं है अतः अतः पत्रावली दिनांक 9-7-15 को जेम हो

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अकश अन्य कार्य। वीर पर पकरे हैं, मिसल दिनांक 16/7/15 को पेश हो।



16/7/15

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अकश अन्य कार्य। वीर पर पकरे हैं, मिसल दिनांक 23/7/15 को पेश हो। अशोक कुमार सेक्टर 16 का 17, कापूरस गाविस की के - पंचायत में अस्थापित है, अतः इन्डिफिन्ड प्रकृति का कार्य प्रकृति के लिये जारी है। ककार अशोक कुमार की गाविस लॉकेट नहीं है अतः अतः पत्रावली दिनांक 9-7-15 को जेम हो

23/1/25 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक 23/1/25 को पेश हो
21/3/25

23/1/25 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक 23/1/25 को पेश हो
21/3/25

30/1/25 पत्रावली पेश हुई।
कार संघ डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे है।
पत्रावली दिनांक 6/1/26 को पेश हो।
21/3/25

6/1/26 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक 27/1/26 को पेश हो
21/3/25

27/10/26 पत्रावली पेश हुई।

कार संघ डीडवाना का कार्य बहिष्कार
होने से पत्रावली दिनांक 10/02/26
को पेश हो। 21/3/25

10/02/26

पत्रावली पेश हुई।

कार संघ डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे है।
पत्रावली दिनांक 17/02/26 को पेश हो।

21/3/25

17/02/26. पत्रावली पेश हुई। वहुलाय उपरिघट/
ताकिली रिपोर्ट अप्राप्त। कमील वाडीओ
प्रतिवादीगण की तारीखी हेतु पूर्व में पर्याप्त
भावसर दिये जा चुके है। प्रतिवादीगण की
ताकिली न कबवाये जाने पर पत्रावली भादेश
09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत
रवारिग की जाकर फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।

inkas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना